न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 22/2018 दायरा दिनांक : 16.02.2018

उनवान

1– रामप्रसाद पिता बंशीलाल, जाति माली, आयु साल, निवासी कोलूखेड़ी मालियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– श्रीलाल पिता बंशीलाल, जाति माली, निवासी कोलूखेड़ी मालियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– ग्राम पंचायत जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी मालियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 45/2017 निर्णय दिनांक 10.01.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट रामप्रसाद ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्धअधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

किया कि ग्राम कोलूखेड़ी मालियान, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़की खाता संख्या नया 2 पुरानी 2 खसरा नम्बर 620/568 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा आराजी खातेदार अनिता बाई पत्नी श्री श्रीलाल का हिस्सा 3/8 पुष्पा बाई पत्नी रामप्रसाद का हिस्सा 3/8 तीजू बाई पत्नी कंवर लाल का हिस्सा 1/4 में शामिल खाते में दर्ज है । अपीलांट विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तथा वर्तमान में फसल बो रखी है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं खातेदार तीजूबाई के पिता बंशीलाल द्वारा खरीदी गयी थी तथा तीजू बाई के पिता के मरने के बाद उक्त आराजी खातेदार तीजूबाई के नाम दर्ज चली आ रही है । तीजूबाई लाऔलाद थी । तीजूबाई की मृत्यु हो चुकी है । तीजूबाई के पति भी फौत हो चुका था इस कारण तीजूबाई अपने भाई के यहां रह रही थी । तीजूबाई की मृत्यु पर अंतिम कियाकर्म अपीलांट द्वारा किया गया तथा वादग्रस्त आराजी पर शांतिपूर्ण अपीलांट काश्त करते चले आ रहे हैं । विवादित भूमि के मामलों में जहां तक रेकार्ड से सम्बन्धित है । वह मृतक तीजूबाई के खातेदारी में दर्ज है और तीजूबाई के लाऔलाद मरने व पति के भी ला औलाद मरने के उपरान्त उसके वारिसान की सही जांच पड़ताल नही होने तक रेकार्ड की वस्तुस्थिति बनाये रखना कानून के दायरे में आता है । विवादित मामले में वारिसान की सही तहकीकात हेतु अपीलांट का वाद न्यायालय में विचाराधीन है । यदि न्यायालय के निर्णय होने के उपरान्त यदि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया तो अपीलांट को काफी क्षति होगी । इस कारण अपीलांट के पक्ष में वर्तमान की स्थिति को देखते हुए स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश पूर्णतया गलत है तथा न्यायालय की गरिमा को बनाये रखने के लिये दिनांक 16.11.2017 को दिया गया स्थगन आदेश को यथावत रखना चाहिए था ताकि वाद का निस्तारण सही व कानूनी तरीके से किया जा सकता था । परन्तु ऐसा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया तथा वर्तमान में अपीलांट द्वारा फसल बो रखी है व वादग्रस्त आराजी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्धअधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपीलांट के कब्जे काश्त में है । इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में है और सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.2017 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, यथास्थिति का आदेश जारी करें । वादग्रस्त आराजी पर हमारा कब्जा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया जिसमें कानूनी बिन्दु नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा